

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-01-49/2024/

पटना, दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के पत्रांक-3215 दिनांक-13.11.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मदन कुमार (जे0 10157), तत्कालीन कनीय अभियंता (असैनिक), पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली (सुपौल), सम्प्रति कनीय अभियंता पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी के पूर्व सेवा से विरमन (दिनांक-19.02.2014) एवं वर्तमान सेवा में योगदान (दिनांक-21.02.2014) के बीच की तिथि- 20.02.2014 (कुल-01 दिन) को बिहार सेवा संहिता के नियम 253 एवं 254 में निहित प्रावधान के आलोक में पारगमन अवकाश (Transit Leave) के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को उनके पत्रांक-3215 दिनांक-13.11.2025 के क्रम में/ कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा/श्री मदन कुमार (जे0 10157), कनीय अभियंता पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

227

पटना, दिनांक - 13/01/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर आदेश की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।